

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र०स० (१५)/२० ता० रजु. ०६.०१.२० किस्म मुकदमा ११ एलआर एक्ट निर्णय दिनांक ०७.०२.२०२०

सरकार

बनाम

उद्यम पुत्र बेवती


पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का खैरली गडाविमा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम खैरली गडाविमा के खसरा नम्बर २८१७ रकवा १.५२ हैक्ट. किस्म भूमि गडाविमा पर सम्बत २०७६ में श्री उद्यम पुत्र बेवती, जाति-जाट मि. खैरली गडाविमा तह० बयाना ने ०-३२ ई.स. अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण ११ एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल बाबजूद सूचना नहीं आया अतः एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर २८१७ रकवा ०-३२ हैक्ट. वाके ग्राम खैरली गडाविमा से बेदखल किया जाता है। लगान ५.१२ का ५० गुणा पैनल्टी राशि २५६५ रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक ०७.०२.२०२० को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस बयाना का बयान नामक  
वा. जे. सं. ०४ के तहत  
दिनांक २५/१२/२०१९  
पत्रावली को २५६/१२  
को लिखा है।  
बदलाने के लिये न्यायालय  
पुनर्विचार बयाना

  
नायब तहसीलदार  
बयाना